मद्रास बार एसोसिएशन

बनाम

भारतीय संघ

11 मई 2010

[मुख्य न्यायमूर्ति के0 जी0 बालकृष्णन, आर 0 वी0 रवीन्द्रन, डी0 के0 जैन, पी0 सथाशिवम और जे0 एम 0 पांचाल, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950:
अनुच्छेद 323–8 न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या सुनवाई के लिए उचित विधानमंडल को सक्षम बनाना – राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 का अधिनियमन – की वैधता – हेल्ड: एनटीटी अधिनियम की वैधता से संबंधित याचिकाएं और अनुच्छेद 323–बी को चुनौती उन मुद्दों को उठाती है जो सीए नंबर 3067/2004 और सीए नंबर 3717/2005 में नहीं उठे – इसलिए, दो सिविल अपीलों में निर्णय के अनुसार तत्काल मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अलग से सुनवाई की आवश्यकता है – ये मामले हैं, इसलिए , को अलग करने और सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया – राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005– की वैधता।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: 2006 का स्थानांतरित मामला (सी) संख्या 150।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत।
साथ
टी.सी. (सी) 2006 की संख्या 116, 117 और 118,
डब्ल्यू.पी. (सी) 2007 की संख्या 697।
पराग पी. त्रिपाठी, एएसजी, अरविंद पी. दातार, अनंत पद्मनाभन, निखिल नैय्यर, टीवीएस राघवेंद्र श्रेयस, अंबुज अग्रवाल, सुचिंद्रन बी, एन., ई.सी. विद्या सागर, अमेय A Nargolkar, Arti Gupta, Vismai Rao, Gaurav Agarwal, Kunal Bahri, Varun Sarin, Anubha Agarwal, Sushma Suri, Navin Prakash (for P. Parmeswaran), Sanjeev Sachdeva, Saurabh Sharma, Preet Pal Singh, Parmanand Gaur, Gagan Gupta, Achin Gupta for the appearing parties.

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

इन सभी याचिकाओं में सी नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'अधिनियम') की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। टीसी संख्या 150/2006 में, इसके अलावा संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 बी को भी चुनौती दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम की धारा 46, संविधान की मूल संरचना से परे है क्योंकि यह न्यायाधिकरण प्रणाली के प्रसार को सक्षम बनाती है और प्रशासन की एक समानांतर प्रणाली प्रदान करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता में गंभीर हस्तक्षेप करती है। न्याय का, जिसमें कार्यपालिका ने नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र, प्रक्रिया आदि जैसे मामलों पर व्यापक नियंत्रण बनाए रखा है। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 323 बी संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से छीन

लेता है और उन्हें इसमें निहित कर देता है। राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण, जिसमें अपराधों की सुनवाई और कानून के शुद्ध प्रश्नों का निर्णय शामिल है, जो हमेशा न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में रहे हैं।

2. जब ये मामले 9.1.2007 को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आए, तो अधिनियम की विभिन्न धाराओं को चुनौती दी गई।

(2.1) पहली चुनौती धारा 13 के लिए थी जो "किसी भी व्यक्ति" को राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकृत करती थी। भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम में उचित संशोधन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टियों को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(2.2) दूसरी चुनौती अधिनियम की धारा 5(5) को थी जिसमें प्रावधान था कि केंद्र सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, एक सदस्य को एक राज्य में एक पीठ के मुख्यालय से दूसरे राज्य में दूसरी पीठ के मुख्यालय में स्थानांतरित कर सकती है। या किसी राज्य के भीतर किसी अन्य पीठ के मुख्यालय में। भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 5 (5) में अभिव्यक्ति "चेयरपर्सन के साथ परामर्श" आती है। इसे "अध्यक्ष की सहमति" के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

(2.3) तीसरी चुनौती धारा 7 को लेकर थी जिसमें एक चयन समिति का प्रावधान था जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, (बी) कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव, और (सी) शामिल थे। वित्त मंत्रालय में सचिव. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि बहुमत वाली सरकार के सचिवों में से दो सदस्य मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की राय को खारिज कर सकते हैं जो अनुचित था। भारत संघ की ओर से कहा गया कि दो सचिवों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की राय को नजरअंदाज करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अध्यक्ष की प्रधानता प्रणाली में अंतर्निहित है और इस पहलू को विधिवत स्पष्ट किया जाएगा।

(2.4) याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए अधिनियम में कुछ अन्य दोषों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्र सरकार उनकी जांच करेगी और जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, 9.1.2007 को, यह न्यायालय केंद्र सरकार को स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए एक आदेश दिया उचित संशोधन के बाद सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करें अधिनियम में बनाये गये थे।

3. 21.1.2009 को, जब 2004 के सीए नंबर 3067 और सीए नंबर 3717/2005 में बहस, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 1 बी और 1 सी को चुनौती से संबंधित थी, पहले प्रगति पर थी संविधान पीठ ने यह प्रस्तुत किया कि इन मामलों में एक समान मुद्दा शामिल है और उन्हें उन अपीलों में निर्णय के संदर्भ में टैग और निपटाया जा सकता है। इसलिए संविधान पीठ ने इन मामलों को उन अपीलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, भले ही इन बी मामलों में संदर्भ का कोई आदेश नहीं है।

4. 2004 के सीए नंबर 3067 और 2005 के सीए नंबर 3717 पर बाद में विस्तार से सुनवाई हुई और निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। टैग किए गए ये मामले फैसले के लिए भी सुरक्षित रखे गए थे.

5. हमने आज एक अलग आदेश द्वारा सीए नंबर 3067/2004 और सीए नंबर 3717/2005 का निस्तारण कर दिया है। जहां तक इन मामलों का सवाल है, हम पाते हैं कि टीसी (सिविल) संख्या 150/2006 में संविधान के अनुच्छेद 323 बी को चुनौती शामिल है। उक्त डी अनुच्छेद उपयुक्त विधायिकाओं को उसके खंड (2) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में न्यायाधिकरणों या

किसी भी विवाद, शिकायत या अपराध द्वारा न्यायनिर्णयन या परीक्षण के लिए कानून प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 323 बी के खंड 2 का उप–खंड (i) ऐसे न्यायाधिकरणों को कानूनों के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई करने में सक्षम बनाता है खंड के खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए (2) उक्त अनुच्छेद का.

6. अनुच्छेद 323 बी को चुनौती के समर्थन में दिए गए तर्कों में से एक इस तथ्य से संबंधित है कि न्यायाधिकरण साक्ष्य अधिनियम में निहित साक्ष्य के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। आपराधिक मुकदमों में, किसी आरोपी को उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, और साक्ष्य अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि साक्ष्य की सराहना और तथ्यों के परिणामी निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं। मुकदमे के लिए आपराधिक कानून में अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि न्यायाधीश या जी निर्णायक को कानूनी रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो न्यायाधिकरण अपनी स्वयं की सारांश प्रक्रिया का पालन करते हैं, वे साक्ष्य के सख्त नियमों से बंधे नहीं होते हैं और सदस्यों को कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। इसलिए इससे उन साक्ष्यों के आधार पर व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है जो संभावित मूल्य में पर्याप्त नहीं हैं या अस्वीकार्य एच साक्ष्य के आधार पर। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार यह एक प्रतिगामी कदम होगा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए।

7. कानून के मुद्दों पर अपील पारंपरिक रूप से अदालतों द्वारा सुनी जाती है। अनुच्छेद 323 बी न्यायाधिकरणों के गठन को सक्षम बनाता है जो कानून के शुद्ध प्रश्नों पर अपील सुनेंगे जो अदालतों का कार्य है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261 में, इस अदालत ने अनुच्छेद 323 बी के केवल खंड 3(डी) की वैधता पर विचार किया, लेकिन अनुच्छेद 323 बी के अन्य प्रावधानों की वैधता पर विचार नहीं किया।

8. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों की संवैधानिक वैधता से संबंधित अपीलों में अनुच्छेद 323 बी पर विचार शामिल नहीं था। टीसी (सिविल) संख्या 150/2006 में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों को नहीं छुआ गया क्योंकि कंपनी ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 323 बी में नहीं बल्कि सातवीं अनुसूची की सूची । और ।।। की कई प्रविष्टियों में पाई जा सकती थी और परिणामस्वरूप इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी। लेख।

9. कंपनी अधिनियम के भाग 1 बी और 1 सी और एनटीटी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में हमले का आधार पूरी तरह से अलग है। कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग आईबी और आईसी को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 323 बी से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 323 बी उसमें सूचीबद्ध नहीं किए गए मामलों के संबंध में किसी भी न्यायाधिकरण के गठन पर रोक है। दूसरी ओर एनटीटी अधिनियम को चुनौती अनुच्छेद 323 बी को चुनौती पर ही आधारित है।

10. इसलिए हम पाते हैं कि एनटीटी अधिनियम की वैधता और अनुच्छेद 323 बी को चुनौती से संबंधित ये याचिकाएं उन मुद्दों को उठाती हैं जो दो सिविल अपीलों में नहीं उठे थे। इसलिए इन मामलों का निपटारा सिविल अपीलों में निर्णय के अनुसार नहीं किया जा सकता है बल्कि इन्हें अलग से सुना जाना आवश्यक है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि इन मामलों को अलग कर दिया जाए और सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध किया जाए।

स्थानांतरित मामलों को अलग कर सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा